राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक **उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों में** [आपदा न्यूनीकरण]() और **क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिये 1,115.67 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है।**

मुख्य बिंदु

- **समिति:**
  - समिति ने [राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF)]() के अंतर्गत 15 राज्यों में भूस्खलन जोखिम को न्यून करने के प्रस्तावों की समीक्षा की ।
  - इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल के लिये [राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)]() से वित्त पोषण को भी मंज़ूरी दी।
- **15 राज्यों के लिये** 1,000 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली **राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना को मंज़ूरी दी** गई।
  - राज्यवार आवंटन:
    - उत्तराखंड: 139 करोड़ रुपए
    - हिमाचल प्रदेश: 139 करोड़ रुपए
    - आठ पूर्वोत्तर राज्य: 378 करोड़ रुपए
    - महाराष्ट्र: 100 करोड़ रुपए
    - कर्नाटक: 72 करोड़ रुपए
    - केरल: 72 करोड़ रुपए
    - तमिलनाडु: 50 करोड़ रुपए
    - पश्चिम बंगाल: 50 करोड़ रुपए
  - सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये 115.67 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मंज़ूरी दी गई।
- **समिति द्वारा पूर्व अनुमोदन:**
  - **शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाएँ:** सात शहरों के लिये 3,075.65 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ [शहरी बाढ़]() जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई।
  - **GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) जोखिम प्रबंधन परियोजनाएँ:** NDMF के तहत 150 करोड़ रुपए की कुल लागत पर चार राज्यों के लिये [GLOF]() को मंज़ूरी दी गई।

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष

- [आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005]() के अधिनियमन के साथ **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NCCF) का नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) कर दिया गया।**
  - **इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** की धारा 46 में परिभाषित किया गया है।
- किसी भी आपदा की आशंका वाली स्थिति या आपदा के कारण **आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिये व्यय को पूरा करने के लिये** इसका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
  - यह गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में **SDRF की सहायता करता है, बशर्ते SDRF में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो।**

ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOF)

- हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) एक विनाशकारी बाढ़ की स्थिति है, जो तब उत्पन्न होती है जब **हिमनद झील का बाँध टूट जाता है,** जिसके परिणामस्वरूप विशाल मात्रा में जल का प्रवाह होता है।
- इस प्रकार की बाढ़ आमतौर पर ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने या भारी वर्षा या पिघले जल के प्रवाह के कारण झील में **जल के जमाव के कारण होती है।**

- फरवरी 2021 में **उत्तराखंड के चमोली ज़िले में अचानक बाढ़ आई**, जिसके बारे में **संदेह है कि यह GLOF के कारण आई थी।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-landslide-risk-reduction-project